

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 156/2014 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2012/00016)

अनवान:

1. बुधसिंह पुत्र स्व. श्री वीरसिंह जाति बावरी निवासी खाट सजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. सुमित्री पुत्री देवीबाई पत्नी श्री मकखन सिंह जाति बावरी निवासी खारा खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. विद्या पुत्री देवीबाई पत्नी श्री मकखन सिंह जाति बावरी निवासी खारा खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ वगैरह।

24.9.25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त को रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 4, 6, 7 एवं 9 ता 12 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.01.2013 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्त को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलान्त को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम शीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

